न्यायायल श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

सी. एफ-3446/15
निगरानी - 5620/2018/अशोकनगर/भू.रा.
4/9/18

श्री श्री. एम. गुप्ता कॉपी
द्वारा आज दि. 4-9-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 26-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
4-9-18

कैलाशसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रघुवंशी निवासी घढावदा तहसील नईसरांय जिला अशोकनगर म.प्र.

—निगरानीकर्ता

वनाम

म.प्र. शासन

निगरानी

निगरानी म.प्र. भू.रा.सं. 1959 की धारा 50 के तहत। न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय अशोकनगर म.प्र. के प्रकरण क्र. 32/स्वमेव निगरनी/1993–94 आदेश दिनांक 24/01/1994 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निगरानी सादर प्रस्तुत है—

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्र. 32/स्वमेव निगरनी/1993–94 आदेश दिनांक 24/01/1994 विधि व नियम के विपरीत होने से व नियमानुसार आदेश पारित नही किया गया है। जो निरस्ती योग्य है।
2. यह कि अपर कलेक्टर महोदय को स्वनेव निगरानी में लिये जाने की अधिकारिता नही थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन आदेशित किया है, इस कारण तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार अपर कलेक्टर को नही है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार, इस कारण तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार अपर कलेक्टर को नही है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार (3) के कण्डिका 30 (2) के अधीन स्वमेव निगरानी में सुनन के अधिकार संभागीय आयुक्त को है। तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध भी राजस्व विभाग के आदेश क्र. 2853/सात/2–ए/85 दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–5620/2018/अशोकनगर/भू.रा.

कैलाश सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 32/स्वमेव निगरानी/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 24–01–1994 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	